न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 1630–पीबीआर/16 विरूद्ध प्रतिवेदन दिनांक 14–5–2016 पारित द्वारा राजस्व निरीक्षक, टी.टी. नगर वृत्त, भोपाल प्रकरण कमांक 09/अ–12/2015–16.

चिनार ग्रुप द्वारा सुनील मूलचन्दानी
आत्मज गोपीचन्द मूलचन्दानी
निवासी जोन–2, एम.पी. नगर, भोपाल ....आवेदक

विरूद्ध

साधना अग्निहोत्री पत्नी शरद अग्निहोत्री
निवासी पी. 4/145, अरेरा कॉलौनी, भोपाल ....अनावेदिका

श्री आर.एन. गौर, अभिभाषक, आवेदक
श्री लोकेश भावसार, अभिभाषक, अनावेदिका

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 3/11/16 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक, टी.टी. नगर वृत्त, भोपाल द्वारा पारित प्रतिवेदन दिनांक 14–5–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदिका द्वारा अधीक्षक, भू–अभिलेख, भोपाल के समक्ष उसके भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि सर्वे कमांक 367, सर्वे कमांक 374 एवं सर्वे कमांक 386/4/3/4/1क रकबा 0.37 एकड़ के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । राजस्व निरीक्षक, टी.टी. नगर वृत्त, भोपाल द्वारा प्रकरण कमांक 09/अ–12/2015–16 दर्ज कर दिनांक 14–5–2016 को प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन किया जाकर सीमांकन प्रतिवेदन तैयार किया गया । राजस्व निरीक्षक के इसी सीमांकन प्रतिवेदन के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक 14–5–2015 को प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन किया गया है, जिसमें आवेदक को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई है, और एकपक्षीय रूप से सीमांकन किया गया है, जो कि निरस्त किये जाने योग्य है ।

(2) संहिता की धारा 129 में स्पष्ट प्रावधानित है कि सीमांकन कार्यवाही में पड़ोसी कृषकों को सूचना दी जायेगी, परन्तु राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमंकन में पड़ोसी कृषकों को सूचना नहीं दी गई है ।

(3) संहिता की धारा 129 में यह भी स्पष्ट प्रावधानित है कि सीमांकन निकट के कोई टावर्स पॉईंट से किया जायेगा, और टावर्स पॉईंट उपलब्ध नहीं हो तो स्थायी बिन्दु जो नक्शे से मिलान होते हैं, का भौतिक सत्यापन कर, सीमांकन किया जायेगा, उक्त कार्यवाही राजस्व निरीक्षक द्वारा नहीं किया गया है ।

(4) राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदन में यह नहीं दर्शाया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि के कितने अंश भाग पर आवेदक का अवैध कब्जा है ।

(5) आवेदक द्वारा बनाई गई बाउण्ड्रीवॉल में अनावेदिका की भूमि का क्षेत्र आता है, इसके बावजूद भी राजस्व निरीक्षक द्वारा बिना आवेदक को सूचना दिये सीमांकन करने में विधि एवं न्याय की गंभीर भूल की गई है ।

4/ अनावेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा आवेदक सहित उभय पक्ष को सूचना दी जाकर प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथथ अनियमितता नहीं है । यह भी कहा गया कि सीमांकन पंचनामा से स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा पड़ोसी कृषकों को सूचना दी गई है, और से सीमांकन कार्यवाही में उपस्थित भी हुए हैं । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा स्थायी सीमा चिन्हों से प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन किया गया है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदंर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । राजस्व निरीक्षक के सीमांकन प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि

राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन कार्यवाही में आवेदक को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई है और न ही उनकी उपस्थिति में सीमांकन किया गया है जबकि आवेदक सीमांकन प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार है, अतः इस प्रकरण में यह न्यायिक आवश्यकता है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा की गई सीमांकन कार्यवाही निरस्त की जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाये कि आवेदक को विधिवत् सूचना दी जाकर उनकी उपस्थिति में प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन किया जाये ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर राजस्व निरीक्षक, टी.टी. नगर वृत्त, भोपाल द्वारा पारित प्रतिवेदन दिनांक 14–5–2016 निरस्त किया जाता है । प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में निराकरण हेतु राजस्व निरीक्षक को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर